

SC9
20/2017

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

Sundari Devi C.W.J.C. NO. of 2014Petitioner.

The State of Bihar and others VERSUSRespondents

Sub:-Encroachment Matter

I N D E X

No.	Particulars	Pages
1.	An application under Article 226 of the Constitution of India	1 - 7
2.	Annexure-1A true photo copy of the report dt. 05.09.12	8-10
3.	Annexure-2:A true photo copy of the order dt. 31.01.2013	11
4.	Annexure-3:A true photo copy of the application dt. 06.02.13	12
5.	Annexure-4:A true photo copy of the notice dt.10.04.13 series and 11.05.13	13-14
6.	Annexure-5: A true photo copy of the application dt.03.06.13	15
7.	Annexure-6A true/photo copy of the letter dt.03.07.13	16
8.	Annexure-7 A true/photo copy of the letter dt.13.11.13	17-18
9.	Annexure-8A true/photo copy of the letter dt. 07.11.13	19
10.	VAKALATNAMA.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(Civil Writ Jurisdiction)
C.W.J.C. NO. of 2014

Sundari DeviPetitioner.

VERSUS

The State of Bihar and othersRespondents

Synopsis

Prayer For direction to respondent remove the encroachment of the land of the petitioner who has been encroached land of petitioner by the respondent for which respondent passed order with direction but till today not removed encroachment, whenever she has title and possession of the land and further give other legal consequential benefit to petitioner.

Petitioner purchased land from Beni Madhav Prasad bearing old Khata no. 413, Old Khesra No. 3548, New Khesra No. 994, 998,999, 1000, 1003 of the Area 11 Decimals, thereafter land has been mutated in the name of the petitioner by the order of Anchaladhikari, since very date petitioner are paying the rent of the aforesaid land.

- 30.12.11 the order passed by L.R.D.C., Madhepura Misc. Case No. 97/11 with direction to Anchaladhikari to measure the land of the petitioners and indicated the Area .
- 05.09.12 Measure land and demarcated land of the petitioner by report dt. 05.09.12 and also report alleged land have encroached by Bhupendra Ram &Others.
- 31.01.13 L.R.D.C., Madhepura has been pleased to issue letter dt. 31.01.2013 to Anchaladhikari Madhepura for removing the encroachment of the land .
- 06.02.13 Petitioner filed an application on 06.02.13 before respondent Anchaladhikari
- 10.04.13 Anchaladhikari has been pleased to issue notice to the respondent no. 6 &7
11.05.13 for removing encroachment within one week .
- 03.06.13 Petitioner filed an application before District Magistrate, Madhepura but no any action taken by respondents for removing encroachment .
- 03.07.13 Sub Division Officer, Madhepura issued letter dt.03.07.13 by which asked show cause to Anchaladhikari regarding compliance of the order of D.C.L.R passed in Misc Case no. 24/2010 and 97/2011 and asked F.I.R. has been lodged against person, who have obstructed for work of the government and
- 13.11.13 issued letter dt. 13.11.13 by Sub Division Officer, Madhepura .
- 07.11.13 Land Reforms Deputy Collector, Madhepura issued a letter dt. 07.11.13 to Anchaladhikari, Madhepura for removing encroachment from land of petitioner but encroachment has not been removed either by Government agency nor encroachers till to-day, hence present writ application.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C No...../2014

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India.

AND

In the matter of;

Sundari Devi, W/o Lakshmi Narayan Bharti @Lakshmi Narayan Ram Bharti, Residing at Ward No. 9,P.S. & District - Madhepura. Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through Secretary, Revenue and Land Reforms Department, Govt. of Bihar, Patna.
2. The District Magistrate, Madhepura , District Madhepura
3. The Land Reforms, Deputy Collector, Madhepura, District Madhepura.
4. The Sub Divisional Officer, Madhepura , District Madhepura
5. The Anchaladhikari, Madhepura , District Madhepura
6. Shri Bhupendra Ram
7. Shri Upendra Ram , Respondent no. 6 &7 S/o Late Janki Ram, R/o villager - Azad nagar, Madhepura, Ward No. 9, District Madhepura. Respondents

To

The Hon'ble Justice Ms Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his companion Justice of the said Hon'ble Court.

The humble application on behalf of
petitioner above named.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH;-

1. That this writ application is being filed for issuance of a writ in the nature of mandamus for direction to respondent remove the encroachment of the land of the petitioner who has been encroached land of petitioner by the respondent for which respondent passed order with direction but till today not removed encroachment, whenever she has title and possession of the land and further give other legal consequential benefit to petitioner.
2. That main point involved in this writ application are as follows :-
 - i) Whether the petitioner purchased land by the Register deed dt. 15.12.86 from Ex-landlord Beni Madhav Prasad @ Shri Beni Lal Das or not ?
 - ii) Whether soon after the purchased alleged land by the petitioner, mutation has been made by the Anchaladhikari, Madhepura of bearing land Khata No. 413, Khesra No. 3548, Area 11 Dec., after notice to the concern parties by the order dt. 11.07.87 or not?
 - iii) Whether petitioner filed an application before Hon'ble Chief Minister as well as S.P. Madhepura on 20.02.2011, regarding encroachment of the land of the petitioner after selling the land by the Beni Prasad Madhav, thereafter matter has been transferred before Land Reform Deputy Collector, Madhepura, and same has been decided in favour of the petitioner by the order dt. 30.12.2011 passed in Case No. 97/

2011 or not ?

- iv) Whether in pursuance of the order of the L.R.D.C., Madhepura, respondents, Anchal -adhihar, Madhepurai has been pleased measurement the land in presence of the parties and report has been submitted on 03.05.2012 or not?
- v) Whether L.R.D.C. issued a letter dt.31.01.2012 by which directed Anchaladhihari, Madhepura for removing encroachment from the land of the petitioner or not?
- vi) Whether petitioner filed application on 06.02.13 before Anchaladhihari, Madhepura for compliance of the order dt. 31.01.2013 passed by L.R.D.C., Madhepura or not ?
- vii) Whether respondent Anchaladhihari issued letter dt.10.04.13 and 11.05.13 to the name of the Encroacher's (Respondent no.6&7) by letter dt. 10.04.13 for removing encroachment within one week but till today encroachment has not been removed or not?
- viii) Whether Sub Divisional Officer, issued order dt. 03.04.13 and dt. 13.11.13 to Anchala -adhihari deputation of the Magistrate for removing encroachment and have lodged a case against them but no case has been lodged till today or not?

3. That petitioner is citizen of India and he is right guarantee under the Constitution of India.

4. That it is admitted fact is that the petitioner purchased land from Beni Madhav Prasad bearing old Khata no. 413, Old Khesra No. 3548, New Khesra No. 994, 998,999, 1000, 1003 of the Area 11 Decimals, thereafter land has been mutated in the name of the petitioner by the order of Anchaladhihari, since very date petitioner are paying the rent of the aforesaid land.

5. That the after selling of the land Shri Beni Prasad Madhav have wrongly harassed,

for which petitioner filed an application before Hon'ble Chief Minister Janta Darbar and thereafter matter has been transferred before L.R.D.C., Madhepura where case have been instituted as Misc. Case No. 97/11 and matter was heard between the parties and hold that the petitioner purchased aforesaid land from Beni Madhav and having Title and Possession of the land and directed to Anchaladhikari to measure the land of the petitioners and indicated the Area, by the order dt. 30.12.11 passed by L.R.D.C., Madhepura.

6. That on basis of the order dt. 30.12.11 passed by L.R.D.C. Madhepura, Anchaladhikari, Madhepura has been pleased to measure land and demarcated land of the petitioner by report dt. 05.09.12 and also report alleged land have been encroached by Bhupendra Ram & Others.

A true photo copy of the report dt. 05.09.12 is annexed as Annexure - 1 of this application.

7. That petitioner filed an application before respondent for removing encroachment from the possession of the encroacher, thereafter L.R.D.C., Madhepura has been pleased to issue letter dt. 31.01.2013 to Anchaladhikari Madhepura for removing the encroachment of the land of petitioner.

A true photo copy of the order dt. 31.01.2013 is annexed as Annexure - 2 of this application.

8. That petitioner filed an application on 06.02.13 before respondent Anchaladhikari Madhepura, thereafter Anchaladhikari has been pleased to issue notice to the respondent no. 6 & 7 on 10.04.13 and 11.05.2013 for removing encroachment within one week but they have not taken any action as per notices, encroachment has not removed till today. Thereafter petitioner filed an application before District Magistrate, Madhepura on 03.06.2013 but no any action taken by respondents for removing encroachment .

A true photo copy of the application dt. 06.02.13, notice dt. 10.04.13 and 11.05.13 and application dt.03.06.13 are annexed as Annexure - 3, 4 series and 5 respectively of this application.

9. That Sub Division Officer, Madhepura issued letter dt.03.07.13 by which asked show cause to Anchaladhikari regarding compliance of the order of D.C.L.R passed in Misc Case no. 24/2010 and 97/2011 and asked F.I.R. has been lodged against person , who have obstructed for work of the goverment and further issued letter dt. 13.11.13 .

A true/photo copy of the letter dt.03.07.13 & 13.11.13 are annexed as annexure - 6 and 7 respectively of this application.

10. That land Reforms Deputy Collector, Madhepura issued a letter dt. 07.11.13 to Anchaladhikari, Madhepura for removing encroachment fro land of petitioner but encroachment has not been removed either by Goverment agency nor encroachers till today. hence present writ application.

A true/photo copy of the .letter dt. 07.11.13 is annexed as annexure - 8 of this application.

11. That petitioner filed several application before repondents for removing encroachment but respondents did not take any step for removing without any clausable reason, not only, representations of petitioner still pending for due consideration till today.

12. That on the above facts and circumstances of the case petitioners deserve relief by this Hon'ble Court.

13. That petitioners have no other efficacious and alternative remedy save and except to move before this Hon'ble Court.

14. That petitioner has not moved any time earlier for the relief sought for in para-1

of this writ application.

It is therefore, prayed that your lordship may graciously be pleased to issue notice to show cause as to why the relief sought for in para-1 of this writ application be not granted to the petitioner and upon cause being shown if any and after hearing the parties pass such other order/orders as your lordship may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case;

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Sundari Devi, aged about 50 years W/o Lakshmi Narayan Bharti @Lakshmi Narayan Ram Bharti, Residing at Ward No. 9, P.S. & District - Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner no. 1 in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That I have gone through the contents of this application and have fully understood the same. The statements made in Para. no. 3 and 11 to 12 are true to my knowledge and para. no. 4 to 10 are on information derived from the records of the case and rest are by way of submission before this Hon'ble Court.
3. That annexures are true/photo copies of the originals.

श्रीया मै. ग्रंथालय अधिकारी मन्दीपुरा

विषय:- जमीन पंजीयन के संबंध में।
प्रसंग:- अवधीप आदिवासी संपर्क 409-2 दिनांक 14.08.2012

महोदय,
उपर्युक्त विषयक संपर्क प्रसंग के अंतर्गत सार माफ
नकालाजम और सुधार उप-समाहती मन्दीपुरा में विवाद
विवादका अधिनियम के तहत बांध-सम्पत्तों पर शासक
217-2 दिनांक 09-05-2012 काटी श्री गति सुन्दरी देवी पर
श्री लक्ष्मी बा. गारवी सा. - मन्दीपुरा वाई नं-5/9 में पति
आदिवासी के आदिवासी संपर्क प्रसंग 412 के अंतर्गत प्रसंग 3548
इकाई 0.11 (उत्तर) और जमीन का पंजीयन कार्य हेतु
पर पड़ेगा।

पंजीयन आवेदन एवं पुष्टिवादी तथा छापील आवेदन
की उपस्थिति के बिना। केसाला का विवाद केवी जाल रास
जखनकारी केवी संपर्क प्रसंग 409 केवी जाल देवी
आदिवासी केवी संपर्क प्रसंग 412 केवी जाल देवी
मन्दीपुरा) केवी संपर्क प्रसंग 412 केवी जाल देवी
(3) लक्ष्मी देवी केवी संपर्क प्रसंग 412 केवी जाल देवी

A.A

(3) लक्ष्मी देवी केवी संपर्क प्रसंग 412 केवी जाल देवी
(4) सुलभा देवी केवी संपर्क प्रसंग 412 केवी जाल देवी
(5) सारपति केवी संपर्क प्रसंग 412 केवी जाल देवी

सौजा जाला	मन्दीपुरा	इकाई नं-5	61	994	998	999	1000	1001
सुलभा देवी	सुलभा देवी	सुलभा देवी	सुलभा देवी	सुलभा देवी	सुलभा देवी	सुलभा देवी	सुलभा देवी	सुलभा देवी

पुस्तक - सुलभा देवी केवी संपर्क प्रसंग 412 केवी जाल देवी
पुस्तक से पंजीयन
उपरोक्त लक्ष्मी देवी केवी संपर्क प्रसंग 412 केवी जाल देवी

प्रमाणित किया गया कि शेरपुरा पुराना 35...
 की गति... 70 (खतर) कड़ी...
 की दक्षिण... 42 (विशाली...)
 कड़ी एवं सुरत... 155 (एफ...)
 $42 + 53 = 95$
 $95 \times 155 = 14725$
 कड़ी... 29 (उत्तरी...)
 कड़ी... 155 (एफ...)
 $29 + 18 = 47$
 $47 \times 155 = 7285$
 कड़ी... 23.5
 $23.5 \times 155 = 3642.5$
 कड़ी... 736.25
 कड़ी... 36.425
 $736.25 + 36.425 = 772.675$
 कड़ी...


अधिकारी
 महोदय

- प्रमाणित किया गया कि शेरपुरा पुराना 35...
 कड़ी...
 कड़ी...
 कड़ी...
 कड़ी...

05-09-2012
 श्री...
 महोदय

10


सौ - 114 पुरा
 नाना - 89
 21 प्रथम भाग - 114 पुरा
 1101 - नाना पुरा
 211 - 112, 3



प्रथम भाग - 0 - 3367.5 वर्ग मी.
 21 - 11 - 55.0 वर्ग मी.

1100 वर्ग मी.
 भाग 0.11 (उत्तरे 370)

9.12.60-70



जोड - 114 पुरा
 नाना - 89
 21 प्रथम भाग - 114 पुरा
 1101 - नाना पुरा
 211 - 112, 3

नं. १००२५१०३
अनुभव डल कार्यालय मन्दीपुरा

11

(वि. अ. स. व. २१)

पत्रांक ५२-२/

प्रभु,

शुभ सुधार उपसमाप्ति,
मन्दीपुरा।

श्रीमान्,

मौजल अधिकारी,
मन्दीपुरा।

विषय:- आति कर्मि शुभि स्वामी कराने के संबंध
में।

दिनांक ३१-१-१३ /

संज्ञा:- आपका पत्रांक ५०१-२ दिनांक १०-१०-१२
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलेख
में सूचित करना है कि श्रीमति सुन्दरी देवीपति
नामकी ना० भारती खा० आजाद नगर वार्ड न०-०९
के शुभि विवाद संख्या- ११॥ में आपकी आपस
के अनुपालन में आपके द्वारा अमीन प्रतिवेदन
समाप्त किया गया है। विवाद नामी प्रतिवेदन
में अतिरिक्त अतिरिक्त व्यक्तियों को शुभि स्वामी
कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना
सुनिश्चित किया जाये।

रजिस्ट्रार
अ. अ. १०३

संकेचित पत्र को
श्रीमान् अधिकारी
के पत्र को पत्रांक ५०१-२
में
व्यवहार

विश्वनाथभावन,
शुभ सुधार उपसमाप्ति,
मन्दीपुरा।

1000-3

12

सेवा में,

अंचल पदाधिकारी महोदय,
मधेपुरा अंचल, मधेपुरा।

विषय :- भू-सुधार उपसमाहर्ता, मधेपुरा के पत्रांक-52-2 दिनांक 31.01.2013 के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में पीडित आवेदिका का आवेदन।

महाराज,

विषयांकित सन्दर्भित संदर्भ में प्रार्थना है कि आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर अंकित भूमि-विवाद निराकरण वाद सं० 97/11 में पारित आदेश के आलोक में अनुमण्डल कार्यालय राजस्व शाखा, मधेपुरा के ज्ञापांक- 409-2, दिनांक 14.08.2012 भवदीय द्वारा अंचल अमीन का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

भवदीय के समर्पित प्रतिवेदन में वर्णित है कि प्रतिवेदनांकित खाता, खेसरा, रकवा, चौहद्दी की वादनी की जमीन उपेन्द्र राम वो भूपेन्द्र राम, पिता जनक राम एवं अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमित किया गया है।

अतः प्रार्थना है कि प्रतिवेदनांकित खाता, खेसरा, रकवा, चौहद्दी की जमीन विषयांकित पत्रांक- 52-2, दिनांक 31.01.2013 के आलोक में अतिक्रमण मुक्त करने की कृपा दर्शित की जाय।

विश्वासभाजन

8-2-13

सुन्दरी देवी
(सुन्दरी देवी)

पति- लक्ष्मी ना० भारती,
आजाद नगर, वार्ड न०-09, मधेपुरा,
थाना + जिला- मधेपुरा।

Ram
8-2-13

कार्यालय अंचल अधिकारी, मधेपुरा

ज्ञापांक 186-2 / सूचना दिनांक 10-04-2013,

प्रेषित :-

1. श्री भूपेन्द्र राम / पिता स्व. जवत राम
2. " उपेन्द्र राम
3. सा. अजाद नगर मधेपुरा काठमा-09
- 4.

आपको सूचित किया जाता है कि वाद सं- 97/2011 (बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम -2009) में भूमि सुधार उपसमाहर्ता मधेपुरा के द्वारा प्रथम पक्ष श्रीमति सुन्दरी देवी पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण झा का दावा सही ठहराया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आपको आदेश दिया जाता है कि वाद सं- 97/2011 में भूमि सुधार उपसमाहर्ता मधेपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-11-2011 के आलोक में एक सप्ताह के अन्दर खाली करना सुनिश्चित करें / उक्त भू-खण्ड को अवेध कब्जा खाली करें तथा अद्योहस्ताक्षरी को इसकी सूचना दें। निर्धारित तिथि के अन्दर आपके द्वारा किए गए अवेध कब्जा एक सप्ताह के अन्दर खाली नहीं करने पर उक्त तिथि के पश्चात किसी दिन सशस्त्र बल के साथ दण्डाधिकारी की उपस्थिति में अवेध कब्जा को जबरन खाली करा दिया जाएगा।

इसे अतिआवश्यक समझे।

जमीन का विवरण :-

खाल	उपेन्द्र	सैत्रफल
413	354	3642 वर्ग फी

अंचल अधिकारी
मधेपुरा।

413 किये
यु. प्रदीप
उपेन्द्र जी भा. वि.
18/6/13



अनुमानक-04

कार्यालय अंचल अधिकारी, मधेपुरा

ज्ञापांक 242-2 / सूचना दिनांक 11-5-2013

प्रेषित :-

1. श्री भूपेन्द्र राम, पिता-स्व0 जनक राम, सा0-आजाद नगर, मधेपुरा वार्ड न0-09
2. श्री उपेन्द्र राम, पिता-स्व0 जनक राम, सा0-आजाद नगर, मधेपुरा वार्ड न0-09

विवादित

आपको सूचित किया जाता है कि वाद सं0-97/2011 (विहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम -2009) में भूमि सुधार उपसमाहर्ता मधेपुरा के द्वारा प्रथम पक्ष श्री मती सुन्दरी देवी, पति-श्री लक्ष्मी ना0 भारती का दावा सही ठहराया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आपको आदेश दिया जाता है कि वाद सं0-97/2011 में भूमि सुधार उपसमाहर्ता मधेपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक-30.11.2011 के आलोक में एक सप्ताह के अन्दर खाली करना सुनिश्चित करें उक्त भू-खण्ड को अवेध कब्जा खाली करें तथा अद्योहस्ताक्षरो को इसकी सूचना दें। निर्धारित तिथि के अन्दर आपके द्वारा किए गए अवेध कब्जा पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर अतिक्रमण खाली करें अन्यथा किसी दिन सशस्त्र बल के साथ दण्डाधिकारी की उपस्थिति में अवेध कब्जा को जबरन खाली करा दिया जाएगा और खाली कराने में जो व्यय होगा वह सारा व्यय आपको भुगतान करना होगा।

इसे अतिआवश्यक समझे।

आज्ञा का विवरण :-

श्रीमान श्रीमान श्रीमान श्रीमान
मधेपुरा 413 3548 3642
वाड न0 5/9



अंचल अधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी महोदय,
मधेपुरा।

विषय :- मुख्यमंत्री, सचिवालय राजस्व, जनशिकायत श्रीमती गायत्री सिन्हा, उपसचिव के सन्दर्भ 00001-2503110193 दिनांक- 25.03.2011 के संलग्न आवेदन के आलोक में महोदय द्वारा अग्रसारित राजस्व पत्र 2035/11 के भू-सुधार उपसमाहर्ता, मधेपुरा के न्यायालय में भू-निराकरण वाद संख्या-97/2011 में दिनांक- 30.11.2011 के पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने के विरुद्ध- अनुसूचित जाति की वृद्ध आवेदिका का आवेदन।

महाशय,

सयिनय निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय, बिहार, पटना के जनता दरवार में दाखिल आवेदन विषयांकित सन्दर्भ में महोदय को सम्बोधित है, का अधिनियम की धारा-09(1) अन्तर्गत भू-सुधार उपसमाहर्ता, मधेपुरा से निष्पादित निर्धारित अवधि कर कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन यथा समय समर्पित करने का निदेश दिया गया। (आवेदन पत्र अनुलग्नक-01 है)

कि महोदय के निदेशानुसार भू-सुधार उपसमाहर्ता, मधेपुरा के न्यायालय में भू-विवाद निरुत्करण अधिनियम की धारा के अन्तर्गत वाद संख्या-97/2011 अंकित कर जमीन सम्बन्धी दस्तावेजों, प्रतिवादीगण द्वारा समर्पित लिखित, मौखिक साक्ष्यों, अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के समग्र सम्यक् न्यायिक विवेचना के आधार पर दिनांक- 30.11.2011 को प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवेदनांकित खाता- 413, खेसरा-354, क्षेत्रफल-3642 वर्गकड़ी को अतिक्रमण मुक्त करने का निदेश अंचल पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया।

भू-सुधार उपसमाहर्ता, मधेपुरा के निदेशानुसार अंचल पदाधिकारी महोदय, मधेपुरा को अमीन से प्राप्त प्रतिवेदनांकित जमीन को प्रतिवादी (1) भूपेन्द्र राम, (2) उपेन्द्र राम दानों पिता स्व0 जनक राम से अतिक्रमण मुक्त करने का निदेश अंचल कार्यालय में पत्रांक क्रमशः 186-2 दिनांक- 10.04.2013, 242-2, दिनांक- 11.05.2013 दिये तो प्रतिवादीगण एवं (1) विश्व प्रकाश सिन्हा उर्फ लल्लू (2) जयप्रकाश सिन्हा उर्फ पल्लू (3) ज्ञान प्रकाश सिन्हा उर्फ पणु (4) राज प्रकाश सिन्हा उर्फ राजू सभी पिता श्री बैनी माधव प्रसाद, मधेपुरा आजाद नगर, वार्ड न0-5/9, थाना+जिला- मधेपुरा, दिनांक- 15.05.2013 को एकमत होकर आवेदिका के दरवाजे पर आकर गाली-गलौज एवं मार-पीट करने, जाति सूचक चमार-चमारिन कहकर साम्रज्यनिक रूप से अपमानित एवं प्रताड़ित किया जिस आशय का आवेदन आवेदिका के पुत्र बबलू राम ने अनुसूचित जाति-जनजाति, थाना मधेपुरा को दिये जो जाँच हेतु लंबित है तथा पुनः प्रतिवादीगण भूपेन्द्र राम, उपेन्द्र राम द्वारा भू-स्वामी बैनी माधव प्रसाद के उपरोक्त नामित पुत्रों के सहयोग से नोटिस प्राप्ति के बाद अतिक्रमण भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि भू-स्वामी बैनी माधव प्रसाद सिन्हा के द्वारा मौजा मधेपुरा अन्तर्गत खाता- 413, खेसरा न0- 3548, रकवा- 11 डी0 विक्रय-पत्र संख्या- 12468, दिनांक- 15.12.1986 में निष्पादित किया गया है।

आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुसूचित जाति के (महादलित) आवेदिका प्रार्थना करती है कि भू-सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय से वाद संख्या-97/2011 में दिनांक- 30.11.2011 के लगभग डेढ़ वर्ष (18 माह) व्यतीत होने के बाद भी अंचल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा आवेदिका के अतिक्रमण भूमि को अतिक्रमणकर्ता भूपेन्द्र राम, उपेन्द्र राम से अतिक्रमण मुक्त नहीं होने से परियेदित आवेदिका माननीय मुख्यमंत्री के दिनांक- 06.06.2013 को मधेपुरा आगमन पर मधेपुरा मुख्यालय के मुख्य सड़क पर स्थित सुनाष बोस के प्रतिमा के सम्मक्ष आत्मदाह करने को विवश होगी अन्यथा मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व अतिक्रमण मुक्त करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एवं मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, पटना को प्रार्थना पत्र समर्पित।

सुन्दरी देवी

आवेदिका
सुन्दरी देवी
(सुन्दरी देवी) 2/6/2013
पति- लक्ष्मी नारायण भारती,
मधेपुरा नगर परिषद, वार्ड न0-9, आजादनगर,
थाना+जिला- मधेपुरा।

अनुमंडल कार्यालय

पत्रांक 222/साठ

प्रेषक

अनुमंडल पदाधिकारी,
मधेपुरा ।

प्राप्त

अवल अधिकारी,
मधेपुरा ।

मधेपुरा, दिनांक 13/11/13.

विषय:- जिला जनता दरवार से प्राप्त आवेदन पत्रों का अग्रिम निष्पादन करने के संबंधमें ।

प्रसंग:- इस कार्य के पत्रांक 198-2दि05.2.13 स्मार 1925-2दि.1.1013
197-1दि021.2.13 स्मार 1925-2दि.1.10.13
568-2दि.11.4.13 स्मार 1.
1817-2दि.21.9.13, स्मार 1925-2 दि.1.10.13
1818-2दि.21.9.13, स्मार 1925-2दि.1.10.13
1819-2दि.21.9.13 स्मार 1925-2दि.1.10.13
1925-2दिनांक 1.10.12013 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासांगिक पत्र का कृपया स्मरण करें । उक्त पत्रों के द्वारा जिला जनता दरवार जोषांग, मधेपुरा के द्वारा विभिन्न तिथियों में 078 सातहूँ परिवाद पत्र का स्थलीय जाँच कर नियमानुसार निष्पादन करते हुये कृत कार्रवाई का जाँच प्रतिवेदन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया था, ताकि जाँच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, महाशय मधेपुरा को उपरोक्तार्थ हेतु भेजा जा सके, परन्तु एत तम्बही अवधि कित्त जाने के बाद भी एक भी जाँच प्रतिवेदन आपके द्वारा समर्पित नहीं किया है, इस हेतु जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या-959/अ.को. दिनांक 17.10.2013 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित हेतु स्मार पत्र प्राप्त हुआ है, इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा पर्यय पदाधिकारी का आदेश का अवहेलना किया जा रहा है, जो बबहुत ही गैर का विषय है। इस पत्र के साथ सूची संलग्न किया जा रहा है।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिला जनता दरवार जोषांग, मधेपुरा का प्राप्त 078 सातहूँ परिवाद पत्रों को स्थलीय जाँच कर नियमानुसार निष्पादन करें । कृत कार्रवाई का जाँच प्रतिवेदन पत्र प्राप्त के 028 दोहूँ दिनों के अधोहस्ताक्षरी को भिजे, ताकि जाँच प्रतिवेदन संशुद्ध कर जिला जनता दरवार जोषांग, मधेपुरा को ससय्य भेजा जा सके ।

अनुमंडल

सुधी संलग्नक

विश्वासभाजन

अनुमंडल पदाधिकारी,
मधेपुरा म

अनुमण्डल कार्यालय मध्यपुरा

(संख्या ३२५-२)

पत्रांक ३२५-२

प्रेषक, श्रीमि सुन्दर उपसमाधती, मध्यपुरा

सौ. नामे, श्रीमि अविधकारी, मध्यपुरा

विषय:- २० बि० वाद खै० ११/२०११ सीमांत सुन्दरी देवी वनाम केनी माधव प्रसाद उर्फ केनी लाल दास में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रमाण:- २२५ कार्यालय का दायीक संख्या-२ दिनांक १-५-१२ महाशय

उपरोक्त विषयक प्रसंगिक पत्र के द्वारा श्रमि विवाद वाद खै०- ११/२०११ में पारित आदेश की धारा ११३(१) के अन्तर्गत में प्रेषित हेतु भेजी गयी थी जिसका अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है।

सातव्य है कि सीमांत सुन्दरी देवी अनुमण्डल जनता दरवार में अतिक्रमिता श्रमि मुक्त कराने के संबंध में आवेदन दिश है। अतिक्रमण कर्मी श्रीमि सुन्दराम वी. उपेन्द्रराम पिता स्व० जनक राम को अतिक्रमिता श्रमि रवाली करने के लिए कटने पर गाली-गलौज और भारपीर पर उताड़ने जाने के संबंध में सूचित किया गया है।

पुनः २० बि० वाद खै०- ११/२०११ सीमांत सुन्दरी देवी वनाम माधव प्रसाद उर्फ केनी लाल दास में पारित आदेश की धारा ११३(१) के अन्तर्गत में प्रेषित हेतु भेजी गयी थी जिसका अनुपालन अभी तक अप्राप्त है। अतिक्रमण कर्मी श्रीमि सुन्दराम वी. उपेन्द्रराम पिता स्व० जनक राम को अतिक्रमिता श्रमि रवाली करने के लिए कटने पर गाली-गलौज और भारपीर पर उताड़ने जाने के संबंध में सूचित किया गया है। अतिक्रमण कर्मी श्रीमि सुन्दराम वी. उपेन्द्रराम पिता स्व० जनक राम को अतिक्रमिता श्रमि रवाली करने के लिए कटने पर गाली-गलौज और भारपीर पर उताड़ने जाने के संबंध में सूचित किया गया है।

विशवास मान्यन
श्रीमि सुन्दर उपसमाधती
मध्यपुरा
३१/५/१२